न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 72/2021 (2021/170)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 08.06.2021

शीर्षक

श्रीमती लाडुदेवी पत्नि भैरा गुर्जर निवासी पालरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रतन आत्मज उदा गुर्जर निवासी पालरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. डालु आत्मज भेरा गुर्जर निवासी पालरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री विद्यापुरी गोस्वामी

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः–23.07.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पालरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 302/1311 रकबा 1.08 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 158 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम पालरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा क़े बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 302/1310 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.86 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 8 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियां प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रज़िस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 पेरोकार उपस्थित। औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 2 लगायत 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पालरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 302/1311 रकबा 1.08 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 158 पर दर्ज होकर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम पालरा पटवार हल्का उम्मेदपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 302/1310 रकबा 0.86 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.86 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 8 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का सम्बन्धित पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी. ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700/– (सात सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700/– (सात सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।